

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2026/184763/GKP/GORAKHPUR/3922/CFO

दिनांक : 14-01-2026

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स P. N. NATIONAL PUBLIC SCHOOL पता JUNGLE DHUSAN, PIPRAICH ROAD, GORAKHPUR तहसील - SADAR प्लाट एरिया 6522.97 sq.mt (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया 5831.16 (वर्ग मीटर), ब्लाकों की संख्या - 1 जिसमें -

| ब्लॉक/टावर | प्रत्येक ब्लॉक में तर्लों की संख्या | बेसमेन्ट की संख्या | ऊँचाई |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------|
| P N NATIONAL PUBLIC SCHOOL | 3 | 0 | 10.35 mt. |

है। भवन का अधिभोग मेसर्स P. N. NATIONAL PUBLIC SCHOOL द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तसंबंधी भारतीय मानक ब्लूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक 17-01-2026 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री DEEPAK SINGH के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 17-01-2026 से 16-01-2031 तक 5 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स P. N. NATIONAL PUBLIC SCHOOL अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स P. N. NATIONAL PUBLIC SCHOOL अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।"

Note : FSO की संस्कृति के आधार पर निम्न उपबन्धों के अधीन निर्गत है। 1-अर्ह अभिकर्ता / अग्निशमन अभियन्ता से 02 वर्ष में न्यूनतम 01-बार फायर आर्डिट तथा वर्ष के जनवरी व जुलाई माह में भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं की कार्यशीलता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर इस विभाग को प्रेषित करें 2-फायर उपकरणों का वार्षिक ए0एम0सी0/मरम्मत अर्ह एजेन्सी से कराया जाया। 3-नियत प्राधिकारी द्वारा भवन के स्वीकृत कराये गये मानचित्र के अनुसार समस्त प्रावधान रखना वांछनीय होगा। 4-स्कूल में वार्षिक समारोह में लगाने वाले पाण्डाल तथा अतिरिक्त भवन निर्माण हेतु विभागीय स्वीकृति ली जायें। 5-सुरक्षा मानकों की अवहेलना करने पर आप स्वयं उत्तरदायी/जिम्मेदार होंगे। 6-FSO समय-समय पर माकड़िल में प्रतिभाग कर निरीक्षण करते रहे



हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

SANTOSH KUMAR RAI

83D1545A2C132ED07DA6325B12C5E5094D437D60

17-01-2026

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.